<u>न्यायालयः श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य, अतिरिक्त मुख्य</u> <u>न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड्, जिला बड्वानी (म०प्र०)</u>

<u>आपराधिक प्रकरण क्रमांक 569 / 2014</u> संस्थन दिनांक 16.08.2014

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, ठीकरी जिला–बड़वानी म0प्र0

----अभियोगी

वि रू द्व

शान मोहम्मद पिता मोहम्मद इजराईल आयु 22 वर्ष, निवासी—भवानीगढ़ थाना जामो, जिला— अमेठी, उत्तरप्रदेश

----अभियुक्त

// <u>निर्णय</u> //

(आज दिनांक 30.10.2015 को घोषित)

- 1. पुलिस थाना ठीकरी द्वारा अपराध क्रमांक 173/2014 अंतर्गत 304—ए भा.द.सं. में दिनांक 16.08.2014 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 10.08.2014 को रात्रि 10:30 बजे ए.बी. रोड़ बरूफाटक से थोड़ा आगे के आगे अजय अग्रवाल के खेत के सामने वाहन ट्रक क्रमांक आर.जे. 14 जी.डी. 4121 को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर जीवन संकटापन्न होना संभाव्य बनाकर अमित को टक्कर मारकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित करने जो आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आती है, के संबंध में अभियुक्त पर धारा 304—ए भा.द.ंस. के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।
- 2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था।

- अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 3. 10.08.2014 को फरियादी मोहन इन्दौर से नन्दुरबार का भाड़ा ट्रक में भरकर ए.बी. रोड बरूफाटक अजय अग्रवाल के खेत के सामने पुलिया के पास आया तब मोहन के ट्रक का डीजल खत्म हो गया था जिससे मोहन ने ट्रक को अपनी साईड रोड़ पर खड़ी कर उसके क्लिनर अमित को डीजल लेने के लिए भेज दिया तथा डीजल लेकर वाहन के पास आया तभी इन्दौर-धामनोद की ओर से एक ट्रक क्रमांक आर.जे. 14 जी.डी. 4121 का चालक उसके ट्रक को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया और मोहन के क्लिनर अमित को टक्कर मारते हुए उसके ट्रक में पीछे से टक्कर मारी जिससे उसका ट्रक पलटी खा गया तथा अमित को टक्कर लगने से अमित की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई तभी उसके गाँव का काशीराम व कमल दोड़कर आये जिन्होंने अमित के शव को एम्बुलेंस में ठीकरी अस्पताल भेजा। पुलिस ने फरियादी मोहन द्वारा दी गई घटना की सूचना के आधार पर वाहन ट्रक क्रमांक आर.जे. 14 जी.डी. 4121 के चालक के विरूद्ध अपराध क्रमांक 173/2014 अंतर्गत धारा 304 भा.द.सं. में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्शपी 1 लेखबद्ध की। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने फरियादी मोहन की निशांदेही से घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 2 बनाया। पुलिस ने अभियुक्त के पेश करने पर ट्रक कमांक आर.जे. 14 जी.डी. 4121 मय दस्तावेज एवं अभियुक्त की चालन अनुज्ञप्ति जप्त कर प्रदर्शपी 5 का जप्ती पंचनामा बनाया तथा फरियादी एवं साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध कर अभियुक्त के विरूद्ध संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग-पत्र अंतर्गत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया
- 4. अभियोगपत्र के आधार पर अभियुक्त के विरूद्व धारा 304-ए भा.द.ंस. के अंतर्गत अपराध विवरण विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है
- प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि —

क्या अभियुक्त ने दिनांक 10.08.2014 को रात्रि 10:30 बजे ए.बी. रोड़ बरूफाटक से थोड़ा आगे के आगे अजय अग्रवाल के खेत के सामने वाहन ट्रक क्रमांक आर.जे. 14 जी.डी. 4121 को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर जीवन संकटापन्न होना संभाव्य बनाकर अमित को टक्कर मारकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित की. जो आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आती है ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में साक्षी मोहन (अ.सा.1), काशीराम (अ.सा.2), कमल (अ.सा.3), मांगीलाल (अ.सा.4), डॉ. गौरव सेलगावकर (अ.सा.5), उपनिरीक्षक एल.एल. मालवीय (अ.सा.6) एवं अशोक वर्मा (अ.सा.7) के कथन कराये गये हैं, जबिक अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार

उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में मोहन अ.सा 1 का कथन है कि वह अभियुक्त को नहीं जानता है। लगभग 8 माह पूर्व वह इन्दौर से नन्दुरबार की ओर अपना ट्रक लेकर जा रहा था। रास्ते में अजय अग्रवाल के खेत के पास उसके ट्रक का डीजल खत्म हो गया था। तब उसने अपना ट्रक सड़क के किनारे खडा किया था तथा क्लिनर अमित को डीजल लेने के लिए जुलवानिया भेजा था। अमित डीजल लेकर वापस ट्रक के पास आया तभी इन्दौर की ओर से आ रहे ट्रक जिसका क्रमांक उसे याद नहीं है ने ट्रक को लापरवाहीपूर्वक चलाकर अमित को टक्कर मारते हुए उसके सड़क किनारे खड़े हुए ट्रक को टककर मार दी थी, जिससे उसका ट्रक पलटी खा गया और अमिल की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई थीं उसने घटना की रिपोर्ट थाना ठीकरी पर लेखबद्ध कराई थी जो प्रदर्शपी 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस को उसने घटनास्थल बताया था, नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 2 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी ने सफीना फार्म प्रदर्शपी 3 एवं लाश पंचायतनामा प्रदर्शपी 4 पर भी ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। साक्षी ने दुर्घटना कारित करने वाले वाहन को घटनास्थल से जप्त करने के संबंध में बनाये गये जप्ती पंचनामा प्रदर्शपी 5 पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। इस साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि पुलिस रिपोर्ट प्रदर्शपी 1 एवं पुलिस कथन प्रदर्शपी 6 में दुर्घटना कारित करने वाले ट्रक का क्रमांक आर.जे. 4 जी.डी. 4121 बताया था। साक्षी ने उपस्थित अभियुक्त द्वारा दुर्घटना के समय दुर्घटना कारित करने वाले वाहन को चलाने से भी स्पष्ट इंकार किया है। साक्षी ने इस सुघव से भी इंकार किया कि वह अभियुक्त को बचाने के लिए सही बात नहीं बता रहा है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि घटनास्थल ए.बी. रोड है वहाँ से बहुत से ट्रक आते जाते हैं।

- 8. काशीराम असा 2 कमल असा 3 मांगीलाल असा 4 ने भी एक ट्रक द्वारा अमित और ट्रक को टक्कर मारने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी काशीराम असा 2 तथा कमल असा 3 ने सफीना फार्म प्रदर्शपी 3 लाश पंचायतनामा प्रदर्शपी 4 एवं ट्रक जप्ती पंचनामा प्रदर्शपी 5 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। उक्त साक्षियों को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षियों ने इस सुझाव से इंकार किया कि मोहन ने उन्हें बताया कि ट्रक कमांक आर .जे. 14 जी.डी. 4121 के चालक द्वारा तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक ट्रक को चलाकर अमित को टक्कर मार दी। काशीराम असा 2 तथा कमल असा 3 ने पुलिस को प्रदर्शपी 7 एंव 8 तक का कथन देने से भी इंकार किया है।
- 9. डॉ. गौरव असा 5 ने दिनांक 11.08.14 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ठीकरी में आरक्षक रमेश द्वारा लाने पर मृतक अमित पिता मांगीलाल के शव का परीक्षण करने और उसकी मृत्यु सिर में गंभीर चोट लगने तथा अत्यधिक रक्त स्त्राव से होना बताया था। साक्षी ने अपना शव परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्शपी 9 भी प्रमाणित किया है।
- एम.एल. मालवीय असा ६ ने दिनांक 10.08.15 को थाना ठीकरी 10 में फरियादी मोहन पिता कोलिया की मौखिक रिपोर्ट के आधार पर ट्रक क्रमांक आर.जे. 14 जी. डी. 4121 के चालक के विरूद्ध तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक ट्रक चलाकर अमित की मृत्यु कारित करने के संबंध में प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट दर्ज कराने एवं उसके बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होने के संबंध में कथन किये है। साक्षी का यह भी कथन है कि अमित की आकल मृत्यू की सूचना प्रदर्शपी 10 की प्राप्त हुई थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसने सफीना फार्म प्रदर्शपी 3 भी जारी किया था तथा नक्शा लाश पंचायतनामा प्रदर्शपी 4 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने मोहन के बताये अनुसार नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 2 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने अभियुक्त शान मोहम्मद के पेश करने पर घटनास्थल से वाहन ट्रक क्रमांक आर.जे. 14 जी.डी. 4121 के दस्तावेज एवं अभियुक्त की चालन अनुज्ञप्ति प्रदर्शपी 5 के अनुसार जप्त की थी जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसने वाहन की मेकेनिकल जॉच करवाई थी तथा साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने वाहन स्वामी के कोई कथन नहीं लिये थे। उसने घटनास्थल बाम्बे-आगरा राष्ट्रीय मार्ग है जहाँ से हजारों वाहन प्रतिदिन निकलते हैं। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि फरियादी ने कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई थी अथवा उसे साक्षियों ने कोई कथन नहीं दिये थे अथवा वह विवेचना को बल देने के लिए असत्य कथन कर रहा है।

- 11. अशोक वर्मा असा 7 का कथन है कि उसने दिनांक 14.08.2014 को थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 273/14 में जप्त ट्रक क्रमांक आर.जे. 14 जी.डी. 4121 का मेकेनिकल परीक्षण किया था तथा उक्त वाहन दुर्घटना होने से चलने की स्थिति मे नहीं था। साक्षी ने उसका परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्शपी 10 भी प्रमाणित किया है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि वह यह नहीं बता सकता कि वाहन कौन सी कम्पनी का था व उसका मालिक कौन था।
- इस प्रकार स्पष्ट रूप से किसी भी अभियोजन साक्षी ने अभियुक्त 12 के द्वारा घटना दिनांक, स्थान व समय पर उक्त ट्रक क्रमांक आर.जे. 14 जी.डी. 4121 को लोकमार्ग पर तेज गति एवं लापरवाही से चलाकर टक्कर मारने तथा अमित की मृत्यू कारित करने के संबंध में कोई कथन नहीं किये है। यहाँ तक कि मोहन असा 1 ने अपने न्यायालय कथन के दौरान प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट में ट्रक का क्रमांक लिखाने से भी इंकार किया है और उक्त साक्षी ने न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त की पहचान दुर्घटना कारित करने वाले वाहन चलाने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं की है। शेष अभियोजन साक्षियों का भी यह कथन नहीं है कि अभियुक्त ने घटना के समय उक्त ट्रक को तेज गति या लापरवाही से चलाकर अमित की मृत्यू कारित की। यहाँ तक कि विवेचना अधिकारी एल.एल. मालवीय ने वाहन मालिक के इस संबंध में कोई कथन नहीं लिये है। घटना के समय उक्त वाहन का चालक कौन था। ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक समय व स्थान पर ट्रक क्रमांक आर.जे. 14 जी.डी. 4121 को लोक मार्ग पर तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानवजीवन संकटापन्न कर तथा उसकी टक्कर अमित को मारकर उसकी मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में कारित की जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी मे नहीं आती है।
- 13. उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त शान मोहम्मद के विरूद्ध निर्णय के चरण कमांक 5 में उल्लेखित विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नही पाया जाता हैं अतएव अभियुक्त शान मोहम्मद को संदेह का लाभ देते हुए धारा 304–ए भा.दं.स. के अपराधों से दोषमुक्त किया गया। अभियुक्त को अभिरक्षा से रिहा किया गया।

14. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 14 जी.डी. 4121 दिनांक 19.08.2014 को उसके पंजीकृत स्वामी राजेश कुमार पिता श्री मुरारीलाल शर्मा, निवासी— व्ही.पी.ओ. धानी महू, तहसील नोजाल भीवानी (हरियाणा), हाल मुकाम एम.आई. डी.सी. वालूज, औरंगाबाद को सुपुर्दगीनामे पर दिया गया। उक्त सुपुदर्गीनामा अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में स्वतः निरस्त समझा जाये। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डे्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड़, जिला बडवानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड़, जिला बडवानी